



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 13.03.2026

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 05 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 24.02.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका के रहने वाले अभियुक्त मतीन पुत्र लाला द्वारा एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के परिजन की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 376/342 भादवि,3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री शंकर यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 12.04.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहरीर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

### अभियुक्त-

1. मतीन पुत्र लाला नबाव निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।